सार-समाचार

42 प्रबोधक अब वरिष्ठ प्रबोधक बनेंगे

बून्दी (निसं)। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ जिला बून्दी के तत्वाधान में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रबोधकों की लंबित पदोन्नित की मांग अब पूरी होने जा रही है। जिसमें प्रबोधक अब वरिष्ठ प्रबोधक बन सकेंगे। जिलाध्यक्ष नूतन तिवारी एवं पूर्व उपाध्यक्ष रणजीत सिंह राजावत ने बताया कि राजस्थान में 2449 प्रबोधकों की पदोन्नित की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। इस आदेश से प्रबोधकों में खुशी की लहर हैं। इस मौके पर प्रबोधको ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवा कर खुशी जाहिर की। सरकार ने प्रबोधको के हित में पदोन्नित के आदेश जारी किए। सरकार के आदेश के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय को पात्र प्रबोघको की संख्या भेजते हुए उनकी अस्थाई वरिष्ठता सूची 10 जुलाई तक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार 15 जुलाई तक वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। बून्दी जिले में 42 प्रबोधक इस पदोन्नित से लाभान्वित होंगे। खुशी जाहिर करने में कोषाध्यक्ष अशोक चौहला, संयोजक कल्याणमल वर्मा, उदालाल मीणा, उपाध्यक्ष अशोक रावत, शहर अध्यक्ष जाकिर हुसैन अंसारी, उपाध्यक्ष अमर सिंह आदि प्रबोधक शामिल हैं।

जन्मदिन पर पौधे लगाए

छबड़ा (निसं)। झरखेड़ी के शिक्षक छीतरलाल गुर्जर ने 'एक पौधा-धरती मां को दान' के तहत धार्मिक स्थल बालाजी मण्डखो पर 108 पौधे मय ट्री गार्ड लगाए गए। जिसमें बड़, पीपल, नीम, शीशम सहित अन्य छायादार व फलदार पौधे शामिल थे। यहां एसडीएम रामसिंह गुर्जर, डीएसपी जयप्रकाश अटल, सीबीईओ ओमप्रकाश गालव, तहसीलदार अभिषेक पारीक आदि मौजूद थे। शंकरलाल नागर ने बताया कि एसडीएम गुर्जर, डीएसपी अटल, सीबीईओ गालव, तहसीलदार पारीक, महंत देवदास त्यागी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 'हरियालो म्हारो बारां' की पहल पर सभी ग्राम वासियों को परिवार के सदस्यों के बराबर कम से कम एक पौधा प्रति सदस्य 'धरती माँ को दान' कर लगाने का आव्हान किया। जिसका मौजूद ग्रामीणों ने हाथ उठा कर समर्थन किया और इस धार्मिक क्षेत्र पहाड़ी को हरीभरी करने और यहां के परिक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा पेड को नही काटने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रिंसिपल राहुल कुमार चौपडा, निरंजन शर्मा, सरपंच राहुल कुमार शर्मा, मानसिंह मीणा आदि मौजूद रहे।

जीवन रक्षक हेलमेट का विमोचन किया

रावतभाटा, (निसं)। बेगूं विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ द्वारा जीवन रक्षक हेलमेट का विमोचन किया गया। रावतभाटा में 11 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। हर रक्तदाता को जीवन रक्षक हेलमेट दिया जाएगा। बेंगू विधायक डॉ. सुरेश धाकड ने हेलमेट का विमोचन किया। रक्तदाता समूह के बालकिशन गुलाटी और अर्जुन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया की 11 जुलाई को समाजसेवी विजय गुप्ता के जन्मदिवस के मौके पर रावतभाटा सरकारी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा। रक्त संग्रहण महाराव भीम सिंह सरकारी अस्पताल की ब्लड टीम द्वारा किया जाएगा। जिसमें रक्तदान करने वाले हर रक्तवीर रक्तदाता को हेलमेट प्रदान किया जाएगा, रक्तदान में वितरण करने वाले हेलमेट का मंगलवार को बेगूं विधानसभा के डॉ. सुरेश धाकड ने विमोचन किया और उन्होंने इस पहल की तारीफ की और कहा की हेलमेट और रक्तदान दोनो ही इंसानी जीवन बचाने में काम आएंगे। इस मौके पर विजय गुप्ता, बालकीशन गुलाटी, सोनू लखारा, विवेक यादव, प्रमोद सोनी, ओम प्रकाश मेघवाल आदि लोग मौजूद रहे।

अभियान के तहत पौधे लगाए

छबड़ा (निसं)। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण महोत्सव मेरा वृक्ष मेरा परिवार, एक पेड़ मां के नाम के तहत मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य रुद्र प्रतापसिंह हाडा, अधिशासी अधिकारी सुरेश रैगर, पालिकाध्यक्ष कैलाशचंद जैन द्वारा पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पौधरोपण धरती मां के लिए भी एक अनुपम सेवा है। क्योंकि वृक्षों से ही हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, यह दृश्य हम कोविड के दौरान देख चुके हैं, उस समय वातावरण शुद्ध हुआ तो इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि हुई थी। यहां आईआरजीवाई जेईइन मनीष गालव, एसआरएस विशाल भार्गव, उमेश एरवाल आदि मौजूद थे। इसी के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सेन ने अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया और आमजन से इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील की।

पुलिस से अभद्रता के मामले में तीन गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ अभद्रता करने व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं। सीआई राजेष खटाणा ने बताया कि 22 जनवरी को हैड कांस्टेबल धमेंद्र गालव, कांस्टेबल भरतसिंह, विनोद व उगमाराम आरोपी गोविंद पुत्र लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार करने गए थे। तब लक्ष्मीनारायण मीणा, राधेष्याम मीणा व विमल मीणा सहित अन्य परिवारजन ने आरोपी गोविंद को सरसो के खेतो की तरफ भगा दिया और पुलिस पर पत्थर फैंके। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है।

अस्पताल में मरीजों को फल बांटे

रावतभाटा, (निसं)। रक्त एकता ब्लड समूह के फैजान शेख ने जानकारी देते हुए बताया की नगर के सरकारी अस्पताल में मरीजो व आम जनता को फल बांटे गए। सरकारी अस्पताल में जीतने भी लोग मौजूद थे, उन सभी को केले व आम बांटे गए। फैज़ान शेख ने बताया की जरूरतमंद की मदद करना ही असली सेवा है, और नि:शक्त व असहायो की सेवा करने में सच्ची खुशी मिलती हैं। अस्पताल के स्टाफ् द्वारा आभार व्यक्त किया गया और स्टाफ् द्वारा बताया गया की फैज़ान शेख जरूरतमंदों के लिए हमेशा आगे रहते है।

भागवत कथा सुनाई

छीपाबड़ौद (निसं)। छीपाबड़ौद के समीपवर्ती गुलखेडी ओर हरनावदा जागीर गांव के मध्य रामबन पंचवटी मंशापूरण हनुमान मंदिर पर चल रही गत चार दिनों से चल रही देवी भागवत कथा में धार्मिक रस बरस रहा हे।कथा प्रवक्ता साध्वी रिशि गिरी द्वारा जीवन मूल्यों ओर छोटे बच्चों मे संस्कार समेत बच्चों के प्रति माता- पिता का व्यवहार किस तरीके से हो पारिभाषिक किया गया। कथा 15 जुलाई तक चलेगी। महंत किशनदास टाटंबरी ने बताया कि हर वर्ष इस तरीके के धार्मिक आयोजन आश्रम में लगातार किये जाते हैं जिससे क्षेत्र मे वातावरण धर्ममय हो जाता है।

अतिक्रमण हटाया

छीपाबड़ौद (निसं)। मंगलवार को उप वनसंरक्षक के निर्देशानुसार एवं ग्रामीणों की प्राप्त शिकायत पर रेंज छीपाबड़ौद के वनखण्ड सेतकोलू के ग्राम पीपलहेड़ा बडी टाण्डी के पास वन भूमि में हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा तार फेंसिंग व अवैध खाई फेसिंग को पुरवाया एवं ट्रेंच खुदवा कर लगभग 30 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कार्यवाही में क्षेत्रीय वन अधिकारी हेमेन्द्र कुमार, जितेंद्र भार्गव नाका प्रभारी सेतकोलू, लाल सिंह मीणा वनरक्षक, बंटी सहरिया वनरक्षक, एवं गृह रक्षा दल के जवान मौजूद रहे।

वन विभाग ने 49801 पौधे वितरित किये

छीपाबड़ौद (निसं)। वन विभाग नर्सरी द्वारा विभिन्न योजनाओं में 49801 पौधे गत दस दिवस मे वितरण किये हैं। रेंजर हेमेन्द्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत ओर सरकारी विभागों में ओर राज्य सरकार के निर्देश पर पौध वितरण जारी है। वहीं जागरूकता अभियान मे भारत सरकार का एक पेड मां के नाम चलाया जा रहा है।

पौधारोपण किया

छीपाबड़ौद (निसं)। छीपाबड़ौद क्षेत्र के कोटड़ी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य बीरमचंद मीना के नेतृत्व मे 160 पौधों का पौधारोपण किया। इस दौरान शिक्षक नदीम व दिलराज मीना, हेमराज मेहरा, नरेंद्र मेहरा, राकेश मेहरा, सुनील मेहरा,पप्पू मेहरा, शिवराज मेहरा, लोकेश मेहरा, गजराज गुर्जर सुजान मेहरा सहित कई ग्रामीण मोजूद रहे।

प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम 9 से

छीपाबड़ौद (निसं)। छीपाबड़ौद के सीमावर्ती ढोलम के चौक मोहल्ले में श्री नर्मेदेश्वेर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 9 जुलाई से 11 जुलाई 2024 तक किया जायेगा। सत्यनारायण मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जुलाई को महा प्रसादी का वितरण किया जाएगा। यज्ञ करता कथा वाचक पंडित गोविंद कृष्ण शास्त्री रहेंगे।

दंपत्ति से 15 लाख की धोखाधड़ी मामले में तीन जने गिरफ्तार

बून्दी (निसं)। बूंदी शहर कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में नोएडा की शराब कम्पनी किंजस स्प्रिंड (ब्लैक 52 वाइन) प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हरेन्द्र सिंह रोटेला, उसकी पत्नी जयंती और भाई नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर शहर के एक दम्पती से डीलरशिप के नाम पर 15 लाख रुपए की घोखाधड़ी का मामला दर्ज है। पुलिस ने इसी मामले में तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक राधाकृष्ण ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को राजसमंद के भीम उप कारागृह से और एक महिला को उदयपुर के महिला सुधार गृह से प्रोडक्शन वारंट पर यहां लाए हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों अभी रिमांड पर लिया है।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बून्दी के खोजा गेट निवासी हेमन्त तोषनीवाल और उसकी पत्नी निधी तोषनीवाल से किजन्स स्प्रिंड (वाइन) की डीलरशिप देने के नाम पर 15 लाख की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने मामले की जांच कर महिला सहित तीनों आरोपियों को राजसमंद के भीम से हिरासत में लिया है।पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को अभी रिमांड पर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध राजसमंद के भीम, बून्दी, नोएडा, पश्चिमी बंगाल सहित कई प्रदेशों और जिलों में डीलरशिप देने के नाम पर धोखाधडी करने की सूचना सामने आई है।

कोतवाली धाने के उपनिरीक्षक राधाकृष्ण ने बताया कि खोजा गेट निवासी हेमन्त तोषनीवाल और उसकी पत्नी निधी ने कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी कि गत 6 सितंबर 2023 को उनसे नोएडा की किंजस स्प्रिंड प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरेन्द्र सिंह रोटेला ने डीलरशिप देने के लिए इस्टाप के जरिए इकरार किया था। उसके बाद उनसे डीलरशिप के लिए बाकायदा 15 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ले लिए गए। दम्पत्ती से रुपए दो बार में लिए गए। सब कुछ होने के बाद जब मैनेजिंग डायरेक्टर से डीलरशिप देने के लिए कहा तो उसने 48 लाख रुपए की ओर मांग की और पिछले काफी समय से डीलरशिप नही दे रहा है और न ही 15 लाख रुपए वापस मिल पा रहे हैं। दम्पती ने परेशान होकर कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरेन्द्र सिंह के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

मामले के जांच अधिकारी राधाकृष्ण ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच के दौरान राजसमंद के भीम की उप कारागृह से आरोपी हरेन्द्र सिंह रोटेला और उसके भाई नरेंद्र सिंह तथा उदयपुर में महिला सुधार गृह से हरेंद्र की पत्नी जयंती को प्रोडक्शन वारंट पर बून्दी लाए। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने रुपए की बरामदगी और अन्य पूछताछ के लिए आरोपियों को तीन दिन के रिमांड पर सौपा था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी हरेंद्र उसकी पत्नी जयंती और उसका भाई नरेंद्र वैसे ठगी के कई मामलों में वांछित बताए जा रहे हैं। तीनों ने राजसमंद के भीम में डीलरशिप देने के लिए ही महेंद्र खटीक नामक व्यक्ति से एक करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी ठगी की बात सामने आई है। इसी मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इनके विरुद्ध बून्दी कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस को आरोपियों के भीम उप कारागृह में होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर बून्दी लेकर आई थी।आरोपियों से और भी कई ठगी की वारदात खुलने की संभावना जताई जा रही है।

कोतवाली थाना अधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि मामले की जांच थाने के उपनिरीक्षक राधाकृष्ण कर रहे है। अभी न्यायालय ने तीनों को रिमांड पर सौंपा हुआ है। यह अन्य प्रदेशों में भी धोखाधड़ी में वांछित हैं।

पटवार विश्रान्ति भवन का शिलान्यास किया

झालावाड़ (निसं)। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद् झालावाड़ के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर बनने वाले पटवार विश्रान्ति भवन (राजस्व भवन) का मंगलवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड द्वारा विधिवत रूप से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। इस दौरान शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया गया। जिला कलेक्टर ने शिलान्यास कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए पटवार विश्रान्ति भवन का नाम राजस्व भवन रखने का सुझाव दिया। उन्होंने भवन निर्माण के लिए 11 हजार रुपए की सहयोग राशि एवं 100 पौधे देने की घोषणा करते हुए कहा कि पटवार संघ राजस्व सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिला कलक्टर ने कहा कि उक्त भवन के लिए कमेटी बनाकर अच्छे आर्किटेक्ट से डिजाइन तैयार करवाकर बहुपयोगी भवन के रूप में इसका निर्माण करवाएं। इस दौरान जिला कलक्टर ने पौधारोपण कर उपस्थित कार्मिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने का आव्हान किया। कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ संतोष कुमार मीणा, तहसीलदार झालरापाटन नरेन्द्र मीणा, तहसीलदार खानपुर इन्द्रराज सिंह, नायब तहसीलदार कनिजा, हरिशंकर जांगीड, महेन्द्र चतुर्वेदी, राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष बालमुकुन्द मालव, राजस्थान कानूनगो संघ की जिलाध्यक्ष सरिता शर्मा सहित अन्य रहे।

दो दिन शहर में जलापूर्ति बाधित रहेगी

बूंदी (निसं)। चम्बल बूंदी परियोजना से लाभान्वित बूंदी शहर की पेयजल सप्लाई के लिए मांगली नदी पर अति आवश्यक रखरखाव कार्यों के मध्यनजर 10 जुलाई व 11 जुलाई को समय सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक मांगली पम्प हाउस का शटडाउन रहेगा। जिसके कारण 10 जुलाई व 11 जुलाई को बून्दी शहर की जलापूर्ति पूर्णत रूप से बाधित रहेगी।

अधिशाषी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि समस्त जल उपभोक्ताओं से निवेदन है कि पर्याप्त रूप से पेयजल का संग्रहण कर लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी का उपभोक्ताओं को सामना नहीं करना पड़े।

राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को

बूंदी (निसं)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 जुलाई (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी किया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा ने बताया कि लोक अदालत के अन्तर्गत राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138, एन.आई. एक्ट प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी प्रकरण, नल व बिजली के प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण से सम्बन्धित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरण, सभी प्रकार के राजस्व मामले, जनउपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, उपभोक्ता व विक्रेता के मध्य विवाद व अन्य सिविल मामलों आदि विवादों का निपटारा राजीनामें के माध्यम से करवाया जा सकता है।

उन्होने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है। उन्होंने बताया कि साथ ही मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण क्र.सं. 1 व 2 में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए दिनांक 11 जुलाई को प्रात: 11 से 2 बजे के मध्य मेडिकल केम्प का आयोजन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्र.सं. 1 पर किया जा रहा है।

खोया-पाया

मेरे आवास सं. 4-क्यू-9 तलवण्डी कोटा की मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र कही गुम हो चुके है। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिल रही है। जिस किसी को भी मिले तो उक्त पते पर भिजवाने की कृपा करें।
पता-कंचन पत्नी स्व. श्री रामकुमार नागर, मकान नं. 4-क्यू-9 तलवण्डी कोटा, मो. 8209661866

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मूलचन्द होतवानी पुत्र सुगनामल होतवानी के द्वारा श्रीमती माया जैन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन के मुख्तारआम की हैसियत से भूखण्ड संख्या बी-5, अक्षरधाम कॉलोनी कोटा पैमाइश 138.88 वर्गगज को बेचने का इकरार श्रीमती मीनू चौधरी पत्नी देवेन्द्र चौधरी के साथ किया है एवं जाहिर किया है कि उक्त मुख्तारनामाआम जो दिनांक 21.12.2015 को उपपंजीयक कोटा के यहां पंजीकृत है, निरस्त नही किया गया है। अतएव इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को उक्त सौदे के बाबत् कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन के 7 योम की अवधि में अधोहस्तारकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित हो।

संदीप जैन, एडवोकेट
दिनांक 583-ए, तलवण्डी, कोटा
06.07.2024 मो.9829180432

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

क्रमांक:-एफ/प्रन्यास/देव/2024/1563
दिनांक: 9.7.2024

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक प्रन्यास श्री कंचन धाम सेवा संस्थान ग्राम गेण्डोली तह. केशवरायपाटन जिला बून्दी का प्रन्यासियों में परिवर्तन किया जाकर प्रन्यास के लेखों में इन्द्राज हेतु परिवर्तन की सूचना राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या 8 में भरकर दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अत: उक्त प्रन्यास में हित रखने वाले व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन में अपनी आपत्ति कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा में प्रस्तुत करें, वाद समय गुजरने पर आपत्ति मान्य नहीं होगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर के अधीन आज दिनांक 09.07.2024 को जारी की जाती है।

आगामी पेशी 13.08.2024

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1547 विज्ञप्ति दिनांक:-08.07.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बालाकुण्ड में स्थित कृषि भूमि योजना जवाहर नगर भूखंड संख्या जे-17 खसरा नं. 41 आवेदक/आवेदिका श्री यशवंत कुमार गौतम पुत्र स्व. श्री नन्द कुमार शर्मा निवासी जे-17 जवाहर नगर कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 1454 दिनांक 08.01.2003 को श्री नन्द कुमार पुत्र श्री जमनालाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 13.10.2013 एवं पत्नी मगन देवी की मृत्यु दिनांक 19.04.2010 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान शीला शर्मा पुत्री, पुत्र योगेन्द्र कुमार गौतम, यशवंत कुमार गौतम है। वारिसान शीला शर्मा, योगेन्द्र कुमार गौतम द्वारा रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 29.12.2021 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री यशवंत कुमार गौतम पुत्र स्व. श्री नन्द कुमार शर्मा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगरपालिका इटावा जिला कोटा (राज.)

क्रमांक:न.पा.इ./2024-25/696 दिनांक:-11.06.2024

(प्रारूप-10) (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका इटावा
लोक सूचना

सोहन प्रकाश पुत्र श्री हजारी लाल मीणा जाति मीणा निवासी इटावा जिला कोटा (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला कोटा तहसील पीपल्दा	इटावा	363	0.96 है.

अत: उक्त खसरो के समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त, प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सक्षम दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका इटावा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-1999 जाहिर आम सूचना दिनांक 14.05.24

आवास संख्या 1-क-12 दादाबाडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री रूप चन्द मनचन्दा पुत्र श्री तुलसी दास एवं श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री रूप चन्द मनचन्दा को संयुक्त रूप से किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री रूप चन्द मनचन्दा पुत्र श्री तुलसी दास एवं श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री रूप चन्द मनचन्दा द्वारा दिनांक 09.11.1987 को अपने पक्ष में संयुक्त रूप से करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री रूप चन्द मनचन्दा की मृत्यु दिनांक 11.04.1992 को हो चुकी है। श्री रूप चन्द मनचन्दा पुत्र श्री तुलसी दास द्वारा उक्त आवास का हस्तान्तरण दिनांक 01.03.2006 को अपने पुत्र श्री रामलाल मनचन्दा को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामलाल मनचन्दा पुत्र स्व.श्री रूप चन्द मनचन्दा की मृत्यु दिनांक 29.09.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त इनके वारिसानों में श्रीमती ललिता मनचन्दा पत्नी स्व.श्री रामलाल मनचन्दा एवं श्रीमती मीतू वधवा पुत्री स्व.श्री रामलाल मनचन्दा पत्नी श्री संदीप वधवा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड दिनांक 14.02.2024 को अपने भाई श्री विपिन मनचन्दा पुत्र स्व.श्री रामलाल मनचन्दा के पक्ष में किया गया। इसी प्रकार इनके वारिसानों में श्रीमती मीनू कन्थारी पुत्री स्व.श्री रामलाल मनचन्दा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 20.02.2024 को अपने पुत्र व भाई श्री विपिन मनचन्दा पुत्र स्व.श्री रामलाल मनचन्दा के पक्ष किया गया। श्री विपिन मनचन्दा पुत्र स्व.श्री रामलाल मनचन्दा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास संख्या 1-क-12 दादाबाडी कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त पंजीकरण का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं रिलीज डीड के आधार पर श्री विपिन मनचन्दा पुत्र स्व.श्री रामलाल मनचन्दा के नाम करनें में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विपिन मनचन्दा पुत्र स्व.श्री रामलाल मनचन्दा के किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त पंजीकरण का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री विपिन मनचन्दा पुत्र स्व.श्री रामलाल मनचन्दा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-657 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 09.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा की ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायिक योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 98 का आवंटन/नीलामी न्यास के पत्र दिनांक 09.05.2001 को मै. हरियाणा शाहपुरा रोड लाइन्स प्रो.श्री गोपाल शर्मा को किया गया था। आवंटी मै. हरियाणा शाहपुरा रोड लाइन्स प्रो.श्री गोपाल शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री गुरूजीत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2004 को श्री बलजिन्दर सिंह पुत्र श्री जालोर सिंह को विक्रय कर दिया गया हैं क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 98 योजना ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्री बलजिन्दर सिंह पुत्र श्री जालोर सिंह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1538 विज्ञप्ति दिनांक:-5.7.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयाखेडा में स्थित कृषि भूमि योजना ज्ञान सरोवर खसरा नं. 128 में स्थित भूखण्ड संख्या बी-22 आवेदक/आवेदिका श्रीमती सरोज गोस्वामी पत्नि स्व.श्री रविन्द्र कुमार गोस्वामी निवासी एस-20 आदित्य आवास कॉलोनी, पुलिस लाईन कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 26 दिनांक 08.04.2013 को रविन्द्र कुमार गोस्वामी पुत्र श्री शिव कुमार गोस्वामी के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 07.07.2019 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पत्नि सरोज गोस्वामी, पुत्र मनीष कुमार है। वारिसान मनीष कुमार द्वारा जर्ये रजि. रिलीज डीड दिनांक 25.08.2023 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती सरोज गोस्वामी पत्नि स्व.श्री रविन्द्र कुमार गोस्वामी के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/6357 दिनांक: 08.07.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रुपचन्द पुत्र श्री प्रभूलाल निवासी-ग्राम कोलाना तहसील लाडपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 752 केशवपुरा कोटा क्षेत्रफल 450 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा (राज.) के क्रमांक : आवंटन एफ (267) आवंटन/न.वि